संख्या-42/2019/637/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 8 फरवरी 2019

विषय:- **मा0 उच्च न्यायालय एवं अन्य प्रकरण में छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति की लम्बित देयता के भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3713/स0क0/शिक्षा-अ/3/388/2018-19,दिनांक-04.02.2019, पत्रांक-2372/स0क0/शिक्षा/02/967/2018-19, दिनांक-15.10.2018 एवं पत्रांक-1869/ स0क0/ शिक्षा/01/967/2018-19, दिनांक-16.08.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार रिट याचिका संख्या-55484/2017 व रिट याचिका संख्या-48358/2017 रामनगीना किसान पी0जी0 कालेज, गाजीपुर एवं रिट याचिका संख्या-54589/2017 व रिट याचिका संख्या-54591/2017 माँ दौलती कालेज आफ एजूकेशन, गाजीपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत सम्बन्धित याची संस्थाओं में वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के 22 छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रू0-12,33,500/- एवं याची छात्रा सुश्री अंशू वर्मा की वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रू0 98,500/-(रूपये अठ्ठान्वे हजार पांच सौ मात्र) अर्थात **कुल धनराशि रू0-13,32,000/-(रू0-तेरह लाख बत्तीस हजार मात्र)** के भुगतान किये जाने की अनुमति शासनादेश संख्या-163/2018/2474/26-3-2018 दिनांक 25-07-2018 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-42/2019/637(1)/26-3-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।